



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 282 राँची, मंगलवार,

13 अप्रैल, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

05 अप्रैल, 2021

संख्या-4/नियुक्ति-01-01/2020 का0- 2105-- झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अंतर्गत उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु श्री कुन्दन कुमार सहाय (अनुक्रमांक 68053899) की अनुशंसा अनारक्षित कोटि के अंतर्गत की गई है।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के पूर्व उनके शैक्षणिक/जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का जाँच सत्यापन हेतु दिनांक 06.07.2020 से दिनांक 09.07.2020 तक की अवधि निर्धारित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। उक्त कार्यक्रम के अनुसार श्री सहाय को प्रमाण-पत्रों के जाँच सत्यापन हेतु दिनांक 07.07.2020 को विभाग में उपस्थित होना था। श्री कुमार को दिनांक 07.07.2020 को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गई। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 3144 दिनांक 07.07.2020 द्वारा श्री सहाय को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। परंतु श्री सहाय प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए।

श्री सहाय द्वारा प्रमाण-पत्रों के जाँच सत्यापन में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें अंतिम अवसर देते हुए पंद्रह दिनों के अन्दर प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु विभाग में उपस्थित होने का निदेश देते हुए प्रेस विज्ञप्ति सं० 275 दिनांक 15.01.2021 (PR 239564 (Personnel Administrative Reforms and Raj Bhasa)20-21(D)) जारी किया गया। उक्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा निदेश दिया गया कि विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर श्री सहाय की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

श्री कुन्दन कुमार सहाय को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए प्रेस विज्ञप्ति निर्गत किये जाने के बावजूद श्री सहाय सत्यापन जाँच हेतु उपस्थित नहीं हुए।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु छह माह से अधिक का समय दिये जाने के बावजूद भी सत्यापन जाँच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा श्री कुन्दन कुमार सहाय (अनुक्रमांक 68053899) की अभ्यर्थिता (Candidature) समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुधीर कुमार रंजन,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----